-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 10.09.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

विवरण- विगत सप्ताह सीएचसी में एक नवजात शिशु को सरेंडर किया गया था जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त होते ही तत्काल जिला अस्पताल बांदा में दाखिल कराया गया था जहां पर डाक्टरों द्वारा बच्चे के स्वस्थ्य पाए जाने पर सीडब्लूसी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । सीडब्लूसी के द्वारा बच्चे को Children in Need of Care and Protection-CNCP घोषित कर बच्चे का नामकरण किया गया तथा बच्चे के नाम माधव रखा गया । आज सीडब्लूसी के आदेश के क्रम में बच्चे को सीसीआई प्रयागराज दाखिल किया गया है । जनपद बांदा की चाइल्ड प्रोटेक्शन टीम, जिला अस्पताल बांदा, सीएचसी व चाइल्ड हेल्पलाइन आदि की सभी टीमों द्वारा प्रकरण को अच्छे से सम्भाला/संचालित कर सराहनीय कार्य किया गया । इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि कोई भी नवजात शिशु है उसको किसी लावारिस स्थानों आदि पर न फेंके यदि किसी को किन्ही परिस्थितियों के कारण बच्चे को अपने पास नही रखना चाहते है तो उसे जिला अस्पताल या नजदीकी सीएचसी में सरेंडर कर सकते है । इसके अलावा इन बच्चों को कोई निर्धारित प्रक्रिया से ही गोद ले सकता है । पूरे प्रकरण में पाया/देखा गया कि डाक्टर के पास कुछ लोग बच्चे को लेने के लिए पहुंचे थे । पूरे प्रकरण में कार्यवाही है जिसमें सीएचसी, जिला अस्पताल, चाइल्ड प्रोटेक्शन, एसजेपीयू एवं चाइल्ड हेल्पलाइन आदि की टीमों द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है । अतः सभी से अनुरोध है कि जिन लोगों को बच्चों को गोद लेना है वो https://cara.wcd.gov.in/ वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराकर निर्धारित प्रक्रिया के तहत बच्चों को गोद ले सकते है । इस सम्बन्ध में वीडियो बाइट अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज ।